CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
08
01 अगस्त से 07 अगस्त 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (A)

संदर्भ :

- हाल ही में ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर को एक फिल्म की तस्वीर ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ धार्मिक संदर्भ शामिल थे।

धारा 295 (A)

- हमारे देश में अभी भी ईशनिंदा के खिलाफ कोई औपचारिक कानून नहीं है। ईशनिंदा कानून के निकटतम समकक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (A) है, जो किसी भी भाषण, लेखन, या संकेत जो कि "पूर्व नियोजित और गलत इरादे से" नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से उपयोग किया जाता है, उसे दंडित करता है जिसमें जुर्माने के साथ तीन साल तक की कैद का प्रावधान है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- आईपीसी की धारा 295(A) का इतिहास 95 साल पुराना है। 1927 में, एक व्यंग्य प्रकाशित हुआ जिसमें पैगंबर के निजी जीवन के साथ अश्लील समानताएं थीं। यह वास्तव में मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत आक्रामक था, लेकिन लाहौर के तत्कालीन उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके लेखक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि लेखन से किसी भी समुदाय के बीच दुश्मनी या द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं हुई।
- इस प्रकार, यह अपराध धारा 153(A) के अंतर्गत नहीं आता है, जो सार्वजनिक शांति/व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। हालांकि, इस घटना ने एक मांग को जन्म दिया कि धर्मों की पवित्रता की रक्षा के लिए एक कानून होना चाहिए, और इस प्रकार, धारा 295 (A) पेश की गई।

अनुभाग की वैधता

- सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 295 (A) की वैधता, जिसे रामजी लाल मोदी मामले (1957) में चुनौती दी गई, उसकी पुष्टि की थी। शीर्ष अदालत ने तर्क दिया कि जहां अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित सीमा की अनुमति देता है, वहीं धारा 295 (A) के तहत सजा ईशनिंदा के गंभीर रूप से संबंधित है जो किसी भी वर्ग की धार्मिक संवेदनाएं के अपमान करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रतिबद्ध है।
- **अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिया गया भाषण और इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच की कड़ी का आईपीसी की धारा 295 (AA) को पुनः प्राप्त करने के लिए घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।.
- 2011 तक, यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल वे भाषण जो "गैरकानूनी कार्य करने के लिए उतेजित करे " उसी को दंडित किया जा सकता है। यानी अभिव्यक्ति को दबाने के औचित्य के रूप में सार्वजनिक अशांति का उपयोग करने से पहले राज्य को एक बहुत ही उच्च जजों के बेंच से विचार विमर्श करना चाहिए।

क्या ईशनिंदा कानूनों और अभद्र भाषा कानूनों के बीच अंतर होना चाहिए

- धारा 295(ए) की शब्दावली काफी व्यापक है। यह नहीं कहा जा सकता है कि धर्म या धार्मिक संवेदनाओं का जानबूझकर अनादर करना अनिवार्य रूप से उकसाने के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि शायद धारा 295 (A) में अभद्र भाषा के क़ानून का लक्ष्य पूर्वाग्रह को रोकना और समानता सुनिश्चित करना है। दुर्भाग्य से, इस व्याख्या और वास्तविक शब्दों के बीच एक बड़ी असमानता है जिसके कारण प्रशासन के सभी स्तरों पर कानून का अभी भी शोषण किया जा रहा है।
- धर्म या धार्मिक शख्सियतों का अपमान करने पर विवाद या निंदा हो सकती है लेकिन इसे कानूनी रूप से अवैध या मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अभद्र भाषा कानून, धर्म की आलोचना करने या उसका उपहास करने और अपने विश्वास के कारण व्यक्तियों या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या आक्रामकता को प्रोत्साहित करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर आधारित हैं।

अभद्र भाषा के बढ़ते मामले :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, अभद्र भाषा को बढ़ावा देने और समाज में द्वेष को बढ़ावा देने वाले दर्ज मामलों में भारी वृद्धि हुई है।

- 2014 में केवल 323 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 1,804 हो गए थे।
- हालांकि, यह हमारे वर्तमान समाज की गतिशीलता में तीव्र मोड़ के कारण भी हो सकता है। धारा 295 (A) अब आमतौर पर धार्मिक असहमति, व्यंग्य और धार्मिक संदर्भ वाली किसी भी हास्य सामग्री को दंडित करने के लिए उपयोग की जाती है।
- तांडव जैसी कुछ वेब श्रृंखलाओं पर 295 (A) के फर्जी मामले शुरू किए गए हैं, जो कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, श्रृंखला कथित रूप से हिंदू देवताओं को एक अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करती है।
- ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां स्टैंड-अप कॉमेडी करने वाले नागरिकों को केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में धार्मिक संदर्भ थे।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियमों की अपर्याप्तता का उदाहरण मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा के पहले उल्लेखित मामलों में मिलता है।

इन तथ्यों को स्पष्ट करने में विफल रहने से धारा का उचित उपयोग कम हो जाता है और अभद्र भाषा के वास्तविक अपराध को परिभाषित करना और दंडित करना अधिक कठिन हो जाता है।

ईशनिंदा की घटनाओं से निपटने का तरीका

- ईशनिंदा कानून जो सामान्य रूप से धार्मिक आलोचना को प्रतिबंधित करते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों के साथ असंगत हैं। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में प्रवचन और असहमति की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए।
- एकमात्र व्यवहार्य समाधान जो आस्था की सुरक्षा और अभद्र भाषा पर सवाल खड़ा करता है, वह है ईशनिंदा को विधि के अधीन रखते हुए इसे अपराध की श्रेणी से मुक्त करना।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन

सन्दर्भ :

- हाल ही में मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसे वाहन निर्माताओं ने भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए हैं, जो कार खरीदारों को नए इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अधिक विकल्प प्रदान कर रहे हैं।
- विभिन्न वाहन निर्माताओं के ये नए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, कार खरीदारों के दिमाग को बदलने के लिए पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) संचालित वाहनों पर हाइब्रिड तकनीक और इसके लाभों पर निर्भर हैं।

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में

- एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV) चलाने के लिए एक ICE (एक पेट्रोल/डीजल इंजन) और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है।
- यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है, जो बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा, ICE द्वारा, या दोनों का उपयोग करता है। HEV का पावरट्रेन एक नियमित ICE-संचालित कार की तुलना में अधिक जटिल है क्योंकि इसमें EV घटक और एक पारंपरिक ICE है।
- इसका मतलब है कि एक सामान्य एचईवी में एक कम वोल्टेज वाली सहायक बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बिजली स्टोर करने के लिए एक ट्रैक्शन बैटरी पैक, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक एसी/डीसी कनवर्टर, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रक, काम करने के तापमान को बनाए रखने के लिए एक थर्मल सिस्टम, एक आईसीई, एक ईंधन टैंक, एक ईंधन भराव, एक संचरण और एक निकास प्रणाली होगा ।

HEV पॉवरट्रेन कैसे काम करते हैं?

- HEV पॉवरट्रेन कारों को एक श्रृंखला, समानांतर या श्रृंखला-समानांतर (पावर स्प्लिट) विधियों में पावर देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- श्रृंखला HEV पहियों को चलाने के लिए केवल इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करती है, जबकि ICE जनरेटर को शक्ति प्रदान करता है, जो बदले में बैटरी को रिचार्ज करता है।

- ड्राइविंग की स्थिति के आधार पर समानांतर एचईवी, वाहन को चलाने के लिए सर्वोत्तम शक्ति स्रोत का उपयोग करता है। यह कार को गतिमान रखने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर और ICE के बीच बारी-बारी से काम करेगा।
- एक श्रृंखला-समानांतर एचईवी दोनों मॉडलों का एक संयोजन प्रदान करता है और बिजली को विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसमें वाहन को चलाने के लिए बिजली अकेले आईसीई से या बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाई जाती है।
- इसके अलावा, तीनों डिज़ाइनों में, बैटरी को पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक के माध्यम से चार्ज किया जाता है।

पुनर्योजी ब्रेक प्रणाली:

टोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले एक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम (आरबीएस) के कई फायदे हैं जैसे स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में बेहतर ब्रेकिंग दक्षता जो ईंधन की बचत को बढ़ाती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती है। इसके अलावा, आरबीएस ऊर्जा अनुकूलन में भी मदद करता है जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम ऊर्जा अपव्यय होता है।

- आरबीएस के प्रकार के आधार पर, ऊर्जा की रिकवरी कई तरह से होती है। एक गतिज प्रणाली ब्रेक लगाने के दौरान खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती है और फिर इस ऊर्जा का उपयोग वाहन की उच्च-वोल्टेज बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कर सकती है। एक इलेक्ट्रिक सिस्टम अचानक ब्रेक लगाने के दौरान मोटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। अंत में, एक हाइड्रोलिक सिस्टम वाहन की गतिज ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए दबाव वाले टैंकों का उपयोग करता है और उच्च ऊर्जा वसूली दर की पेशकश कर सकता है जो भारी वाहनों के लिए आदर्श है।
- एचईवी और ईवी की दक्षता बड़े हिस्से में ब्रेकिंग के दौरान अधिक से अधिक ऊर्जा की वसूली करने की उनकी क्षमता से निर्धारित होगी, उच्च स्तर की ऊर्जा वसूली के साथ ईंधन की खपत कम होगी। पुनर्प्राप्त करने योग्य ऊर्जा की मात्रा वाहन की गति और रुकने के पैटर्न जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ईंधन की कम खपत और बैटरियों की विस्तारित रेंज के माध्यम से वाहनों की परिचालन दक्षता के कारण ऑटो उद्योग में पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक को अपनाना बढ़ रहा है।

एचईवी के प्रकार

संकरण की डिग्री के आधार पर HEV को वर्गीकृत किया जा सकता है:

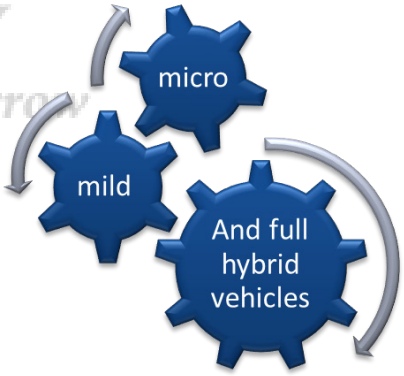

- मारुति सुजुकी के ग्रैंड विटारा और टोयोटा के अर्बन क्रूजर ह्य्रयदर के हाइब्रिड वेरिएंट को फुल और माइल्ड हाइब्रिड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- हल्के HEV की तुलना में एक पूर्ण HEV में बड़ी बैटरी और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी। नतीजतन, एक पूर्ण एचईवी केवल इलेक्ट्रिक मोड का उपयोग करके वाहन को लंबी दूरी तक पावर दे सकता है, जबकि एक हल्का एचईवी केवल इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके ड्राइव नहीं कर सकता है और आईसीई का समर्थन करने के लिए ट्रैफिक लाइट या स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में बैटरी का उपयोग करता है। माइक्रो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टॉर्क सहायता की पेशकश नहीं करते क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक मोटर की कमी होती है, लेकिन उनके पास एक निष्क्रिय स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन कार्य होते हैं। पूर्ण एचईवी अन्य दो प्रकार के एचईवी की तुलना में बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं लेकिन उनकी लागत भी उनसे अधिक होती है।
- फिर प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी) हैं जो पूर्ण एचईवी की तरह हैं, उन्हें वॉल आउटलेट का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास ऑनबोर्ड चार्जर और चार्जिंग पोर्ट है। PHEV आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि बैटरी लगभग खत्म नहीं हो जाती है, और फिर स्वचालित रूप से ICE पर स्विच हो जाती है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट के अनुसार, PHEVs ने 2022 की पहली तिमाही में 1.95 मिलियन वैश्विक EV शिपमेंट का लगभग 23% हिस्सा लिया है ।

हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करने के लाभ

- कार खरीदने पर विचार करने वाले अधिकांश लोगों के लिए ईंधन दक्षता एक प्रमुख कारक है। हाइब्रिड तकनीक वाले अधिकांश वाहन बेहतर ईंधन दक्षता, अधिक शक्ति और न्यूनतम उत्सर्जन प्रदान करते हैं।
- आईसीई वाहनों की तुलना में कम इंजन आकार और कार के वजन के लिए हाइब्रिड वाहनों का डिजाइन, इन वाहनों की मांग के पक्ष में बढ़े हुए माइलेज में तब्दील होता है।

- इसके अलावा, कुल शक्ति और टार्क में वृद्धि के साथ, एचईवी तत्काल टार्क प्रदान कर सकते हैं और कम गति पर भी उच्च टार्क प्रदान कर सकते हैं।

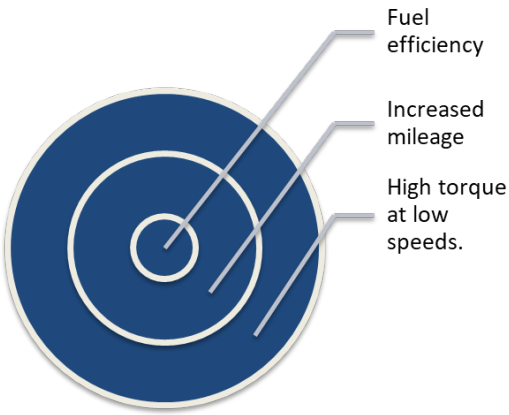

हाइब्रिड प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ

- भारत जैसे मूल्य के प्रति संवेदनशील बाजार में, एचईवी के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक उच्च वाहन लागत है।
- बैटरी, एचईवी का एक महत्वपूर्ण घटक,जो वाहन की लागत को बढ़ाता है, जिससे यह केवल एक आईसीई द्वारा संचालित वाहनों की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है।
- आरबीएस भी एचईवी की लागत को बढाता है।

फेम इंडिया योजना: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देने और उसी के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम-इंडिया योजना की शुरुआत की गई ।

- फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है।
- FAME का मुख्य उदेश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
- (FAME-India) योजना सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करती है और बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण के माध्यम से EVs को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहती है।

FAME-India - I: FAME-India योजना के पहले चरण के तहत, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत किया है।फेम-इंडिया योजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों में से लगभग 230 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 65 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तैनात किए हैं।

FAME-India - II: FAME 2 योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि करना है।सरकार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में निवेश करेगा।चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजनाओं में वे शामिल होंगे जो चलने वाले वाहनों के लिए विद्युतीकरण बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं जैसे कि पेंटोग्राफ चार्जिंग और फ्लैश चार्जिंग। FAME 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने को भी प्रोत्साहित करेगा।

शारीरिक दंड

संदर्भ :

- हाल ही में पुणे में तीन निजी स्कूल के शिक्षकों पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत दसवीं कक्षा के तीन छात्रों को कथित तौर पर पीटने और आंतरिक मूल्यांकन में उन्हें खराब ग्रेड देने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

शारीरिक दंड के बारे में:

- शारीरिक दंड का अर्थ है शारीरिक प्रकृति का दंड। भारतीय कानून में बच्चों को लक्षित करने वाले 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।

आरटीई प्रावधान:

- बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 धारा 17(1) के तहत 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय अपराध बनाता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) शारीरिक दंड के संबंध में दृष्टिकोण:

- एनसीपीसीआर के अनुसार शारीरिक दंड को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में समझा जाता है जो बच्चे के दर्द, चोट और परेशानी का कारण बनता है, चाहे वह हल्का ही क्यों न हो। जैसे की मारना, खरोंचना, पिंच करना, काटना, बालों को खींचना, कान खीचना, थप्पड़ मारना, पिटाई करना, किसी भी उपकरण से मारना (बेंत, छड़ी, जूता, चाक, डस्टर, बेल्ट, चाबुक), बिजली का झटका देना आदि।
- इसमें बच्चों को असहज स्थिति में ले जाना (बेंच पर खड़ा होना, कुर्सी जैसी स्थिति में दीवार के खिलाफ खड़ा होना, सिर पर स्कूल बैग के साथ खड़ा होना, पैरों के माध्यम से कान पकड़ना, घुटने टेकना, किसी भी चीज को जबरन निगलना, कक्षा , पुस्तकालय ,शौचालय या स्कूल में कोई बंद जगह में रोकना,) शामिल है।
- मानसिक उत्पीड़न, को किसी भी गैर-शारीरिक अत्याचार के रूप में समझा जाता है जो एक बच्चे के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए हानिकारक है, जिसमें व्यंग्य, नाम पुकारना और अपमानजनक विशेषणों का उपयोग करके डांटना, डराना, बच्चे के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करना, उपहास करना या एक बच्चे को नीचा दिखाना, बच्चे को शर्मसार करना और भी बहुत कुछ इसमे शामिल है ।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित है।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत एक बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
- यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

शारीरिक दंड के खिलाफ कानून

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17:**
  - यह शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाता है। यह बच्चों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान करता है।
- **किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 :**
  - यह बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान करता है। जब भी किसी संगठन द्वारा नियोजित या प्रबंधन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसे बच्चे की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया हो अगर वो किसी बच्चे के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, या उसकी उपेक्षा करता है तो उसे पांच साल तक का कठोर कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
  - यदि बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है या नियमित कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अनुपयुक्त है अगर उसके जीवन या अंग को जोखिम में डाला जाता है , तो कारावास दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- **किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23**: इसमें कहा गया है कि जो कोई भी, किशोर या बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखता है, अगर वो उस पर हमला करता है, छोड़ देता है, या जानबूझकर उपेक्षा करता है या उस पर हमला, परित्यक्त, उजागर करने का कारण बनता है या खरीदता है या ऐसे किशोर या बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा देने की संभावना वाले तरीके से उपेक्षा करने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।"
  - जबकि धारा 23 को **किशोर न्याय अधिनियम** द्वारा विनियमित चाइल्डकैअर संस्थानों में कर्मियों के लिए सबसे अधिक बार लागू होने की संभावना है, यह तर्कसंगत रूप से एक बच्चे पर अधिकार की स्थिति में किसी के द्वारा क्रूरता पर लागू होता है, जिसमें माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक और नियोक्ता शामिल होंगे।
  - इस बीच, आरटीई अधिनियम बच्चे के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अन्य कानूनों के आवेदन को रोकता नहीं है, उदाहरण के लिए, आईपीसी और एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराधों की बुकिंग।

किशोर न्याय अधिनियम 2015: यह अधिनियम अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्यक्त बच्चों को परिभाषित करता है।

- यह बच्चों द्वारा छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों की परिभाषा भी देता है।
- एक जघन्य अपराध वह है जिसमें किसी भी मौजूदा कानून के तहत अधिकतम 7 साल की कैद की सजा हो सकती है।
- एक गंभीर अपराध वह है जिसमें 3 से 7 साल की कैद हो सकती है।
- एक छोटा अपराध वह है जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की कैद हो सकती है।
- संशोधित अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के साथ वयस्कों के रूप में व्यवहार करने का प्रावधान करता है।
- अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के बीच अंतर करता है।

- **भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):**
  - भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई प्रावधान शारीरिक नुकसान और डराने-धमकाने से संबंधित हैं, जिनका उपयोग बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें धारा 305 भी शामिल है जो एक बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है, धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुँचाने से संबंधित है और इसी तरह धारा 325 जो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है ।

शारीरिक दंड को समाप्त करने के बारे में एनसीपीसीआर का दिशानिर्देश:

- बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार मे प्रत्येक स्कूल को एक तंत्र विकसित करने और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता है।
- ड्रॉप बॉक्स वहां रखा जाना चाहिए जहां पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत आसानी से छोड़ सके जिसे की उसकी गोपनीयता भी बनी रहे ।
  - प्रत्येक स्कूल को एक 'शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ' का गठन करना होता है जिसमें दो शिक्षक, माता-पिता, एक डॉक्टर, एक वकील (डीएलएसए द्वारा मनोनीत), काउंसलर, उस क्षेत्र का एक स्वतंत्र बाल अधिकार कार्यकर्ता और उस स्कूल के दो वरिष्ठ छात्र शामिल होते हैं। यह 'शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ' (सीपीएमसी) शारीरिक दंड की शिकायतों की जांच करेगी।
  - सिद्धांत रूप में, शारीरिक दंड भारतीय कानून के तहत सभी प्रावधानों द्वारा कवर किया गया है जो अपराधियों को शारीरिक नुकसान के लिए दंडित करता है। हालांकि ये प्रावधान वयस्कों और बच्चों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं, व्यवहार में, स्कूलों और अन्य संस्थानों में शारीरिक दंड पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है क्योंकि यह अभी भी कई स्थानों पर सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

रजाकार

संदर्भ :

- हाल ही में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के लिए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने वाले स्थानीय रूप से भर्ती किए गए अर्धसैनिक बल 'रजाकार वाहिनी' के छह सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई ।
- न्यायमूर्ति मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने उन्हें सामूहिक हत्या, यातना और आगजनी सहित 'मानवता के खिलाफ अपराधों' का दोषी करार दिया ।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश):

- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) बांग्लादेश में एक घरेलू युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है, जिसकी स्थापना पाकिस्तान सेना और उनके स्थानीय सहयोगियों, रजाकार, अल-बद्र और अल-शम्स द्वारा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में किए गए नरसंहार के संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए की गई थी।

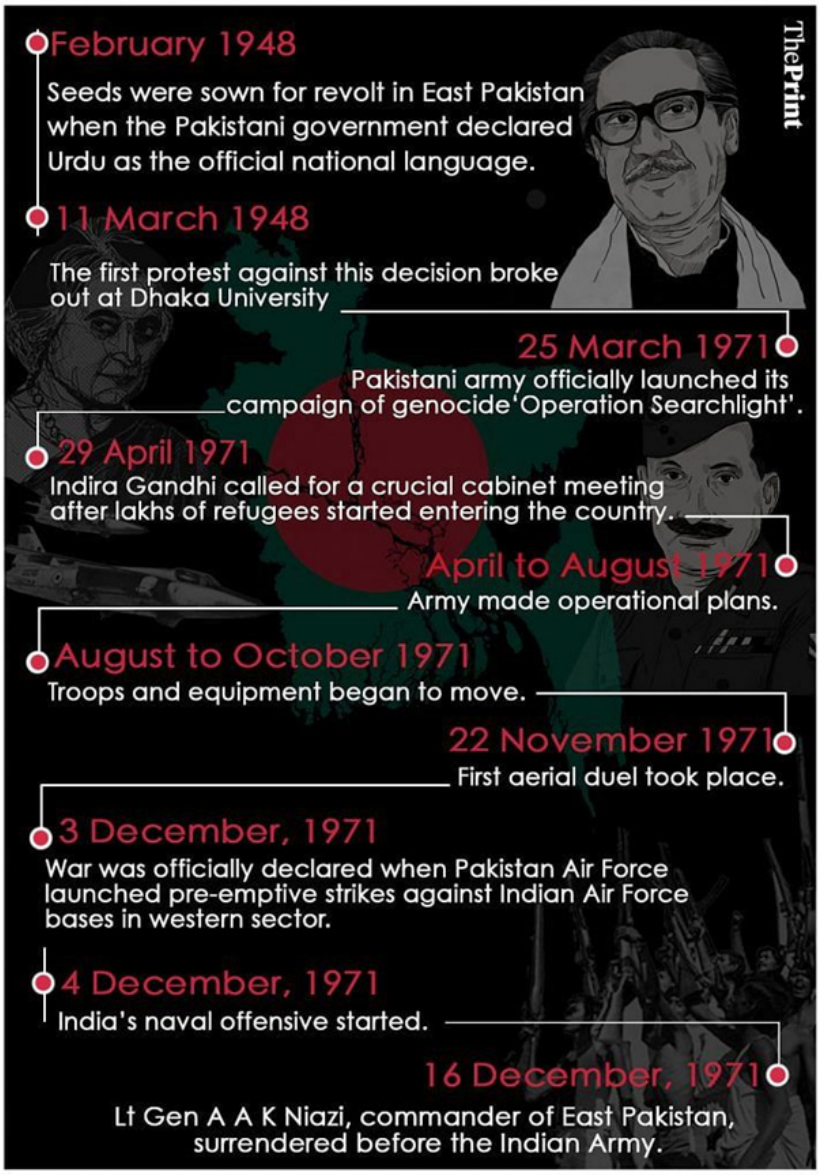

रजाकार के बारे में

- रजाकार का शाब्दिक अर्थ है 'स्वयंसेवक' या उर्दू में 'सहायक', लेकिन इसका अर्थ 'सहयोगी' हो गया है और बांग्लादेश में विश्वासघात से जुड़ा है। मानवविज्ञानी नयनिका मुखर्जी के अनुसार, इसका उपयोग गाली के रूप में किया जाता है।
- रजाकारों में ज्यादातर उर्दू भाषी बिहारी मुस्लिम और धार्मिक दल शामिल थे, जिन्होंने जमात-ए-इस्लामी, अल बद्र और अल शम्स की तरह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने का विरोध किया था। 1947 में विभाजन के बाद जो जातीय बिहारी बांग्लादेश चले गए उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा विदेशियों और सहयोगियों के रूप में निरूपित किया गया था।
- 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान रजाकार पाकिस्तानी सेना के सहायक बल थे। बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) से ज्यादातर पाकिस्तान समर्थक बंगालियों और बिहारियों से बना, लगभग 50,000 रजाकारों ने स्थानीय आबादी के खिलाफ छापे में सेना की सहायता की और उन पर भयानक अत्याचार करने का आरोप लगाया गया।
- बांग्लादेश में राष्ट्रवादी संघर्ष को पाकिस्तानी सेना और सहयोगी रजाकारों द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था, जिसमें 300,000 से 3 मिलियन नागरिकों की मृत्यु, 100,000 से 400,000 महिलाओं के बलात्कार और 25,000 से 195,000 जबरन गर्भधारण के साथ मरने वालों की संख्या आंकी गई थी।

मुक्ति संग्राम के बाद की स्थिति

- दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, नवगठित सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जैसे पाकिस्तानी राज्य बलों के साथ सहयोग करने वाले संगठनों पर बहुत जल्दी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इसके कई प्रभावशाली नेता पाकिस्तान भाग गए।
- बांग्लादेश सहयोगी (विशेष न्यायाधिकरण) आदेश 1972 में पारित किया गया था और अगले वर्ष, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने युद्ध के दौरान अत्याचार करने वालों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध (ट्रिब्यूनल) अधिनियम पेश किया।
- लगभग 37,000 सहयोगियों की पहचान की गई, लेकिन सरकार द्वारा नवंबर 1973 में लगभग 26,000 को सामान्य माफी दी गई, जबकि शेष को अलग-अलग सजा सुनाई गई और कुछ ट्रायल पर रहे ।

न्याय की राह

- मार्च 2010 में, प्रधान मंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यातना और हत्याओं में शामिल होने के संदिग्ध लोगों की जांच और न्याय करने के लिए बांग्लादेश के तीन सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की। सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 1971 के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने का वादा किया था और 2008 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी।
- जमात-ए-इस्लामी के पूर्व नेता अबुल कलाम आजाद (जिन्हें बच्चू रजाकर के नाम से भी जाना जाता है) 2013 में ट्रिब्यूनल द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। गवाहों की गवाही ने उन पर रजाकार होने का आरोप लगाया और उन्हें ज्यादातर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के खिलाफ हत्या, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट के 8 आरोपों का दोषी पाया गया। चूंकि वह 2012 में देश छोड़कर भाग गया था, इसलिए उसे अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी।
- 15 दिसंबर, 2019 को, बांग्लादेश में 49वें विजय दिवस (ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय अवकाश) से एक दिन पहले, सरकार ने 10,789 रजाकारों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्होंने युद्ध के दौरान बंगालियो के खिलाफ अत्याचार करने में पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था। यह पहली बार था जब बांग्लादेश की सरकार ने ऐसी सूची सार्वजनिक की और इसमें 127 राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे।

CHANAKYA IAS ACADEMY SINCE-1993

अल्फाफोल्ड और प्रोटीन

संदर्भ :

- हाल ही में लंदन स्थित एक कंपनी डीपमाइंड ने घोषणा की कि उसने अल्फाफोल्ड का उपयोग करके 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन की त्रि-आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी की थी।

अल्फा फोल्ड के बारे में:

- अल्फाफोल्ड एक एआई-आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है।
  - मानव मस्तिष्क से प्रेरित, तंत्रिका नेटवर्क बड़ी मात्रा में इनपुट डेटा का उपयोग करते हैं और ठीक उसी तरह वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं जैसे मानव मस्तिष्क करते है ।
  - वास्तविक कार्य, इनपुट और आउटपुट परतों के बीच ब्लैक बॉक्स द्वारा किया जाता है, जिसे हिडन नेटवर्क कहा जाता है।
- अल्फा फोल्ड को इनपुट के रूप में प्रोटीन अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। प्रोटीन अनुक्रम एक छोर से प्रवेश करते तो अनुमानित त्रि-आयामी संरचनाएं दूसरे माध्यम से बाहर आती हैं।

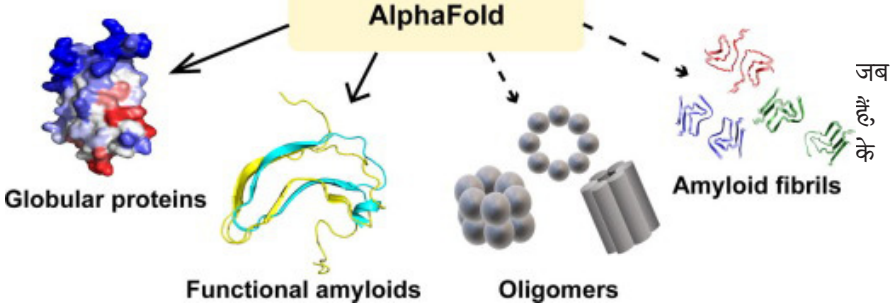

जब हैं, के

कार्य की प्रक्रिया :

- यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करता है:
- पहले चरण में कंप्यूटर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोटीन डाटा बैंक (पीडीबी) में 1,70,000 प्रोटीन की उपलब्ध संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।
    - फिर, यह उस प्रशिक्षण के परिणामों का उपयोग प्रोटीन की संरचनात्मक भविष्यवाणियों को जानने के लिए करता है।
    - एक बार यह हो जाने के बाद, यह पहले चरण से उच्च सटीकता की भविष्यवाणियों का उपयोग करता है ताकि पहले की भविष्यवाणियों की उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया जा सके।
- इस पद्धति का उपयोग करके, अल्फाफोल्ड ने अब यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स (यूनिप्रोट) डेटाबेस में जमा पूरे 214 मिलियन अद्वितीय प्रोटीन अनुक्रमों की संरचनाओं की भविष्यवाणी की है।

इस विकास के निहितार्थ

- मानव रोगों को समझने के लिए प्रोटीन संरचना और कार्य को जानना आवश्यक है।
- प्रोटीन आमतौर पर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके संरचित होते हैं।
- ये तकनीकें केवल समय लेने वाली नहीं हैं, इनमें अक्सर वर्षों लग जाते हैं और ये मुख्य रूप से परीक्षण-और-त्रुटि विधियों पर आधारित होती हैं।
- अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचना की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
- यह विशेष रूप से विज्ञान और संरचनात्मक जीव विज्ञान में एक वाटरशेड आंदोलन है।
- लगभग एक साल पहले डेटाबेस की पहली सार्वजनिक रिलीज के बाद से अल्फाफोल्ड ने पहले ही सैकड़ों वैज्ञानिकों को वैक्सीन और दवा विकास में अपनी खोजों में तेजी लाने में मदद की है।

भारत के लिए इस विकास का महत्व

- भारत को अल्फ़ाफोल्ड डेटाबेस का शीघ्रता से लाभ उठाने और बेहतर टीकों और दवाओं को डिजाइन करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करना सीखना चाहिए।
- वर्षों के बजाय दिनों में कोविड -19 वायरस प्रोटीन की सटीक संरचना को समझने से वायरस के खिलाफ टीके और दवा के विकास में तेजी आएगी।
- भारत को विज्ञान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कार्यान्वयन में भी तेजी लानी चाहिए।
- इसे डेटा विज्ञान नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निजी क्षेत्र में प्रचलित हार्डवेयर पेशी और डेटा विज्ञान प्रतिभा और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त सहयोग की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:

1. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (A), वैसे भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो कि "पूर्व नियोजित और गलत इरादे से" नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, जिसमें 5 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।.
2. धारा 153 (AA), सार्वजनिक शांति/व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है।

निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. एक हल्के HEV की तुलना में एक पूर्ण HEV में एक छोटी बैटरी और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है ।
2. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम-इंडिया योजना शुरू की गई ।

निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. शारीरिक दंड के संबंध में गलत कथन का चयन करें :

(a) आरटीई अधिनियम की धारा 17 शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाती है।

(b) भारतीय कानून में बच्चों को लक्षित करने वाले 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।

(c) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है।

(d) किशोर न्याय अधिनियम द्वारा विनियमित बाल देखभाल संस्थानों में कर्मियों पर धारा 23 लागू नहीं होती है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) बांग्लादेश में एक घरेलू युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2009 में पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा 1971 में किए गए नरसंहार के संदिग्धों की जांच और उनपर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी।
2. रजाकारों में ज्यादातर उर्दू भाषी बिहारी मुस्लिम और धार्मिक दल शामिल थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने का विरोध किया था।

निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध उन देशों के बीच पहला युद्ध था जिसमें कश्मीर क्षेत्र पर लड़ाई शामिल नहीं थी
2. रजाकारों में ज्यादातर उर्दू भाषी बिहारी मुस्लिम और धार्मिक दल शामिल थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने का विरोध किया था।

निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर

1	2	3	4	5
B	B	D	C	C

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993